2006:CGHC:707

प्रकाशन हेतु अनुमोदित

<u>छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर</u>

<u>दांडिक अपील क्रमांक 2465/1999</u>

रंधीर एवं अन्य

बनाम

मध्य प्रदेश राज्य (अब छत्तीसगढ़)

<u>निर्णय हेतु विचारार्थ</u>

श्री एल.सी.भादू

न्यायमूर्ति

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

<u>माननीय न्यायमूर्ति श्री धीरेन्द्र मिश्रा</u>

श्री धीरेन्द्र मिश्रा

न्यायमूर्ति

<u>निर्णय हेतु दिनांक 18 जनवरी 2006 को नियत की जाती है।</u>

श्री एल.सी.भादू

न्यायमूर्ति

<u>छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर</u>

<u>युगल पीठ</u>

<u>माननीय न्यायमूर्ति श्री एल.सी. भादू</u>

<u>माननीय न्यायामूर्ति श्री धीरेन्द्र मिश्रा</u>

<u>दांडिक अपील क्रमांक 2465/1999</u>

रंधीर एवं अन्य

–बनाम–

मध्य प्रदेश राज्य (अब छत्तीसगढ़)

<u>उपस्थित:–</u>
श्री अरुण कोचर, अधिवक्ता :– अपीलार्थीगण क्रमांक 1 एवं 4 अर्थात् रंधीर एवं राजेश की ओर से।

श्री एन.के. चटर्जी, अधिवक्ता :– अपीलार्थीगण क्रमांक 2 एवं 3 अर्थात् देवदास एवं रूप सिंह की ओर से।

श्री यू.एन.एस. देव, अतिरिक्त लोक अभियोजक :– राज्य / प्रत्यर्थी की ओर से।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

// निर्णय //

(<u>निर्णय दिनांक 18 जनवरी, 2006 को उद्घोषित किया गया</u>)

निम्नलिखित निर्णय न्यायालय में न्यायमूर्ति एल.सी. भादू द्वारा सुनाया गया:–

1. इस अपील के माध्यम से, भारतीय दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 374(2) के अंतर्गत, अपीलार्थीगण/अभियुक्तगण– रंधीर, देवदास, रूप सिंह एवं राजेश– द्वारा दिनांक 28.08.1999 को माननीय द्वितीय अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, रायपुर द्वारा सत्र प्रकरण क्रमांक 416/94 में पारित दोषसिद्धि एवं दण्डादेश को विधि एवं तथ्य के आधार पर चुनौती दी गई है। उपरोक्त निर्णय के माध्यम से माननीय न्यायालय ने अपीलार्थीगण/अभियुक्तगण को भारतीय दण्ड संहिता, 1860 की धारा 396 एवं धारा 324 सहपठित धारा 34 के अंतर्गत दोषसिद्ध ठहराया तथा प्रत्येक को आजीवन कारावास एवं ₹5,000/– (रुपये पाँच हज़ार मात्र) के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया, और अर्थदण्ड अदा न करने की दशा में प्रत्येक को 3 वर्ष का अतिरिक्त कठोर कारावास भुगतने का आदेश दिया गया। साथ ही, यह भी निर्देशित

किया गया कि उपर्युक्त दोनों सजाएँ साथ–साथ चलेंगी। यह भी उल्लेखनीय है कि अपीलार्थीगण/अभियुक्तगण दिनांक 01.07.1994 से न्यायिक अभिरक्षा में हैं, इस प्रकार उन्होंने अब तक लगभग 11 वर्ष 6 माह से अधिक की सजा भोग ली है।"

2. इस अपील के निराकरण हेतु अभियोजन का मामला संक्षेप में इस प्रकार है कि, देहाती नालसी (प्रदर्श–पी/19) के अनुसार, जो कि अभियोजन साक्षी क्र.–22 किशोरीलाल द्वारा पुलिस थाना अभनपुर में दर्ज कराई गई थी, इस प्रकार है कि दिनांक 13/14 जून 1994 की मध्य रात्रि को लगभग रात्रि 10 बजे भोजन उपरांत किशोरीलाल (अ. सा. 22) तथा उनके पारिवारिक सदस्यगण विश्राम हेतु सोने चले गए थे। अभियोजन साक्षी क्र.–22 किशोरीलाल मकान के मध्य कक्ष में सो रहे थे, जिसके दरवाजे खुले हुए थे। उनकी पत्नी स्वर्णरानी (मृतका) एवं उनका छोटा पुत्र रविराज, जिसकी आयु लगभग 9 वर्ष थी, मुख्य द्वार के पास एक चारपाई पर सो रहे थे। सामने के हॉलनुमा कक्ष में उनका बड़ा पुत्र महेन्द्र सिंह उर्फ विक्की (मृतक) चारपाई पर पर सो रहा था। अंतिम कक्ष में उनकी तीनों पुत्रियाँ – रानी, दूसरी पुत्री राखी उर्फ स्वीटी (मृतका) तथा तीसरी पुत्री श्वेता सो रही थीं। रात्रि लगभग 1:00 बजे बिजली आपूर्ति बाधित होने के कारण कमरे की रोशनी चली गई, उसी समय किसी अज्ञात व्यक्ति द्वारा उसके सिर पर लोहे की छड़ से प्रहार किया गया, जिससे वह भूमि पर गिरकर बेहोश हो गया । लगभग 2:15 बजे जब उसे होश आया, तो उसने देखा कि उसके कमरे में तीन व्यक्ति उपस्थित थे, जिनके हाथों में टॉर्च थीं तथा वे अलमारी से आभूषण एवं अन्य वस्तुएँ निकाल रहे थे। वे एक अपरिचित भाषा में आपस में बातचीत कर रहे थे, जिसे वह समझ नहीं पाए। वे टॉर्च की रोशनी में वस्तुएँ खोज रहे थे। तीनों व्यक्ति चड्डी–बनियान पहने हुए थे, जिनमें दो की लंबाई लगभग 5 फीट तथा एक की लंबाई लगभग 4.5 फीट थी। रात्रि लगभग 2:50 बजे बिजली आपूर्ति पुनः चालू हो गई, जिस पर उनमें से एक व्यक्ति ने चारपाई पर पड़ी चादर से अपना चेहरा ढँक लिया तथा तीनों व्यक्ति लूटे गए सामान को लेकर दरवाजा बंद कर गलियारे की ओर चले गए। उसने ने भीतर से दरवाजा बंद करने के बाद 'बचाओ–बचाओ' चिल्लाना प्रारंभ किया। बाहर 2–3 व्यक्ति और खड़े थे। दरवाजा खोलकर वह उस कक्ष में पहुँचे जहाँ उनका पुत्र विक्की सो रहा था, वहाँ से बाहर निकलकर पुनः चिल्लाने लगे, तब उनका छोटा पुत्र रविराज उनके पास आया। विक्की के सिर पर गंभीर चोट थी, जिससे रक्तस्राव हो रहा था। वह बेहोश अवस्था में था। तत्पश्चात वह अपनी पत्नी स्वर्णरानी के पास पहुँचे, जिनके सिर पर चोट के कारण रक्तस्राव हो रहा था, तथा वे मृत अवस्था में पाई गईं। इसके पश्चात वह अपनी पुत्रियों के कक्ष में पहुँचे, जहाँ रानी के सिर पर चोट थी एवं वह बेहोश

Web Copy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

अवस्था में थी। स्वीटी के सिर से रक्तस्राव हो रहा था तथा वह मृत पाई गई। श्वेता के सिर पर भी चोट थी सिर से रक्तस्राव हो रहा था और वह भी बेहोश अवस्था में थी। उसके चिल्लाने की आवाज सुनकर तुलसी पानवाला, पड़ोसी रतनलाल एवं पास के होटल संचालक घटनास्थल पर पहुँचे। उसके द्वारा उन्हें घटना की जानकारी दी गई, जिसके उपरांत वे डॉ. कुक्रेजा एवं डॉ. तिवारी को लेकर आए। दोनों चिकित्सकों ने समस्त घायलों का परीक्षण कर उन्हें उपचारार्थ डी.के. अस्पताल, रायपुर ले जाने की सलाह दी। भोजन कक्ष की मेज पर रक्तरंजित लोहे की स्प्रिंग प्लेट पड़ी थी, जिसे अपराध में प्रयुक्त हथियार के रूप में प्रहार करने हेतु प्रयुक्त किया गया था।"

3. अभियुक्त व्यक्तियों द्वारा घटना के दौरान ₹70,000/– (सत्तर हज़ार रुपये) की नकदी, लगभग 20 तोला वज़न के सोने के आभूषण तथा 10 तोला वज़न के चाँदी के आभूषण लूट लिए गए। उक्त देहाती नालसी के आधार पर थाना प्रभारी श्री जगदीश प्रसाद द्वारा प्रथम सूचना प्रतिवेदन (प्रदर्श–पी/20) पंजीबद्ध की गई। घायल किशोरीलाल एवं अन्य को चिकित्सकीय परीक्षण हेतु शासकीय अस्पताल, रायपुर भेजा गया, जहाँ परीक्षण के उपरांत रविराज की चोट का प्रतिवेदन (प्रदर्श–पी/4) तथा किशोरीलाल की चोट का प्रतिवेदन (प्रदर्श–पी/29) तैयार किया गया। इसी प्रकार श्वेता एवं रानी की चोट के परीक्षण उपरांत क्रमशः प्रदर्श–पी/30 एवं पी/31 चिकित्सकीय चोट प्रतिवेदन तैयार की गईं। स्वीटी, स्वर्णलता एवं महेन्द्र सिंह ने उन्हें कारित चोटों के कारण दम तोड़ दिया। विवेचना अधिकारी द्वारा पंचों को नोटिस देकर महेन्द्र, स्वर्णलता एवं स्वीटी के शवों के शव–पंचनामे क्रमशः प्रदर्श–पी/12, पी/14 एवं पी/16 के तहत तैयार किए गए। मृतदेहों को शव परीक्षण हेतु भेजा गया, जहाँ डॉ. अरविन्द नेवलवार (अ. सा.–8) द्वारा उपरोक्त तीनों मृतकों का शवपरीक्षण कर क्रमशः शवपरीक्षण प्रतिवेदन प्रदर्श–पी/8, पी/9 एवं पी/10 तैयार किए गए। पटवारी टी.आर. फुंटे (अ. सा.–7) द्वारा घटना स्थल का नक्शा प्रदर्श–पी/7 के रूप में तैयार किया गया। विवेचना अधिकारी एस.आर. युवने (अ. सा.–25) द्वारा घटनास्थल से लोहे की स्प्रिंग प्लेट, ताला, देशी कट्टा, शराब की बोतल, लोहे की छड़, रक्तरंजित वस्त्र एवं रक्त के धब्बे आदि जब्ती प्रदर्श–पी/19–A के अंतर्गत कब्जे में लिया । सहायक उप निरीक्षक कादिर खान (अ. सा.–17) द्वारा प्रधान आरक्षक रामनाथ की सूचना पर स्वीटी (प्रदर्श–पी/23), स्वर्णलता (प्रदर्श–पी/24) एवं महेन्द्र गुलाटी (प्रदर्श–पी/25) की मर्ग सूचना तैयार की गई। मृतकों के वस्त्र रघुनाथ प्रसाद (अ. सा.–18) द्वारा प्रदर्श–पी/25–A के तहत

Web Copy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

कब्जे में लिए गए। रक्तरंजित वस्तुएँ परीक्षण हेतु विधि विज्ञान प्रयोगशाला, रायपुर को प्रदर्श–पी/26 के माध्यम से प्रेषित की गईं।

4. अभियुक्त प्रह्लाद को दिनांक 29–06–1994 को गिरफ्तार किया गया तथा उसकी पहचान परेड नायब तहसीलदार अनिल कुमार (अ. सा.15) द्वारा कराई गई, जिसमें अभियोजन साक्षी क्र. 20 रविराज ने उसे सही रूप से पहचान लिया। इसी प्रकार, अभियुक्तगण राजेश, देवदास, रूप सिंह एवं रंधीर की पहचान परेड दिनांक 01–07–1994 को तहसीलदार श्री एस.एन. मोटवानी (अ. सा.23) द्वारा संपन्न कराई गई, जिसमें अभियोजन साक्षी क्र. 22 किशोरीलाल ने सभी आरोपियों को ठीक प्रकार से पहचान लिया। इस संबंध में पहचान परेड ज्ञापन क्रमशः प्रदर्श–पी/2, पी/3, पी/17 एवं पी/18 तैयार किए गए। विवेचना पूर्ण होने के पश्चात अभियुक्त प्रह्लाद तथा अन्य अपीलार्थीगण/अभियुक्तगण के विरुद्ध भारतीय दण्ड संहिता की धारा 396 एवं 307 के तहत अपराध कारित किए जाने के संबंध में अभियोग पत्र न्यायिक दण्डाधिकारी प्रथम श्रेणी, रायपुर के न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। हालांकि, अभियुक्तगण बलसिंह एवं जितेन्द्र की गिरफ्तारी नहीं हो सकी तथा अभियुक्त प्रह्लाद विचारण के दौरान फरार हो गया। न्यायिक दण्डाधिकारी द्वारा प्रकरण को सत्र न्यायालय,रायपुर को उपार्पित किया गया, जहाँ से यह प्रकरण विचारण हेतु द्वितीय अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, रायपुर को स्थानंतरण पर प्राप्त हुआ।

Web Copy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

5. अभियोजन द्वारा आरोप सिद्ध करने हेतु कुल 25 साक्षियों का परीक्षण कराया। दूसरी ओर, अभियुक्तों के कथन दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 313 के अंतर्गत अभिलिखित किया गया , जिनमें अभियुक्तगण ने अभियोजन की संपूर्ण साक्ष्य से इनकार करते हुए स्वयं को निर्दोष बताया एवं यह कहा कि उन्हें झूठा फँसाया गया है तथा पुलिस द्वारा उन्हें गवाहों को थाना परिसर में पहले से ही दिखा दिया गया था।

6. माननीय अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश द्वारा अतिरिक्त लोक अभियोजक एवं अभियुक्त पक्ष के अधिवक्ताओं के तर्कों को सुनने के पश्चात, उपरोक्तानुसार (कंडिका 1 में वर्णित) प्रत्येक अपीलार्थीगण/अभियुक्त को दोषसिद्ध कर दण्डित किया गया।

7. हमने दोनों पक्षों के अधिवक्ताओं के विस्तारपूर्वक बहस को सुना।

8. अपीलार्थीगण/अभियुक्तगण के अधिवक्ताओं द्वारा न तो महेन्द्र, स्वीटी एवं स्वर्णलता की मृत्यु की मानववध स्वरूप प्रकृति पर कोई विवाद किया गया है और न ही यह तथ्य विवादित किया गया है कि दिनांक 13/14 जून 1994 की मध्य रात्रि को अभियोजन साक्षी क्र. 22 किशोरीलाल के घर में डकैती की घटना घटी थी। इसी प्रकार, किशोरीलाल, रानी, श्वेता एवं

रविराज को उसी घटना में आयी चोटों को भी विवादित नहीं किया गया है। उनका मात्र यह तर्क है कि अपीलार्थीगण/अभियुक्तगण को इस प्रकरण में झूठा फँसाया गया है।

9. अभियुक्तों के अधिवक्ताओं द्वारा यह अतिरिक्त तर्क भी प्रस्तुत किया गया कि प्रथम सूचना प्रतिवेदन में अभियुक्तों के शारीरिक हाव–भाव अथवा विशिष्ट पहचान चिन्हों का कोई स्पष्ट विवरण उल्लिखित नहीं है। किशोरीलाल (अ. सा. 22) के लिए टॉर्च की रोशनी में अभियुक्तों की पहचान कर पाना संभव नहीं था। जिन टॉर्चों का उल्लेख किया गया है—जो या तो कूलर पर रखी थीं अथवा अभियुक्तों के पास थीं—उनकी बरामदगी भी नहीं की गई है। इस प्रकार, अभियोजन पक्ष अपीलार्थीगण/अभियुक्तगण की घटना में संलिप्तता को प्रमाणित करने में असफल रहा है, क्योंकि सम्पूर्ण प्रकरण अभियुक्तों की पहचान पर ही आधारित है, जो कि मात्र अभियोजन साक्षी क्र. 22 किशोरीलाल द्वारा की गई है। अभियुक्तों से न तो लूटे गए आभूषणों, न नकदी और न ही अन्य कोई सामग्री की बरामदगी की गई है, जिससे उन्हें इस अपराध से प्रत्यक्ष रूप से जोड़ा जा सके।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

10. अपीलार्थीगण/अभियुक्तगण को प्रश्नगत अपराध में दोषी सिद्ध करने हेतु — विशेषकर महेन्द्र, स्वीटी एवं स्वर्णलता की हत्या की घटना जो डकैती के दौरान घटित हुई में अलिप्त करने के लिए — सम्पूर्ण अभियोजन का आधार मात्र अभियोजन साक्षी क्रमांक 22 किशोरीलाल द्वारा की गई पहचान पर आधारित है। जैसा कि पूर्व में उल्लेख किया गया है, अभियुक्तों के पास से कोई भी लूटी गई वस्तु — चाहे वह आभूषण हों अथवा नकद राशि — बरामद नहीं की गई है। ऐसे प्रकरणों में, जहाँ अपराध रात्रिकालीन अंधकार में घटित हुआ हो तथा अभियुक्तगण पीड़ितों के पूर्वपरिचित न हों, भारतीय विधि का स्थापित सिद्धांत यह है कि अभियुक्तों की पहचान से संबंधित विशिष्ट लक्षण प्रथम सूचना प्रतिवेदन एवं पुलिस को दिए गए बयान में स्पष्ट रूप से वर्णित होने चाहिए। माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा ***मंजूर बनाम उत्तर प्रदेश राज्य, क्रि. ला. री. (Cr.L.R.), सर्वोच्च न्यायालय, वर्ष 1982, पृष्ठ संख्या 134*** के प्रकरण में निम्नलिखित निर्णय दिया गया:

> ***"टॉर्चों को साक्ष्य के रूप में प्रस्तुत नहीं किया गया, जबकि विवेचना अधिकारी (अ. सा.–12) ने अपने कथन में कहा कि उसने टॉर्चों को देखा था और फिर उन्हें होमगार्ड्स को वापस कर दिया। यह स्पष्ट नहीं है कि विवेचना अधिकारी ने क्यों इन टॉर्चों को, जिनकी सहायता से होमगार्ड्स ने दो व्यक्तियों को घटनास्थल से भागते हुए देखा था, वापस कर दिया, जबकि वे इस प्रकरण में महत्वपूर्ण सुसंगत साक्ष्य हो सकते थे।*** **यदि प्रारंभिक अवसर पर जब होमगार्ड्स से *अ. सा.–12* ने पूछताछ की थी, उस समय उन्होंने**

आरोपियों की कोई पहचान संबंधी विशेषता नहीं बताई, तो यह मानना कठिन है कि *अ. सा.*–.2 उन दोनों अभियुक्तों की पहचान लगभग दो माह बाद कैसे कर सका।"

उक्त प्रकरण अभियुक्तों की पहचान पर आधारित था, जिसे चार होमगार्ड्स द्वारा किया गया था, क्योंकि उनका यह कथन था कि उन्होंने अपनी टॉर्चों की रोशनी डाली और देखा कि दो व्यक्ति घटनास्थल से रेलवे लाइन के पास घायल गुल बहार की आवाज़ सुनने के बाद भागते हुए जा रहे थे। इसी प्रकार, ***बोल्लावरम पेड्डा नरसी रेड्डी एवं अन्य बनाम आंध्र प्रदेश राज्य (1991 एससीसी (क्रि) 586)*** में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित किया है कि—

"पहचान साक्ष्य की विश्वसनीयता मुख्यतः इस बात पर निर्भर करती है कि गवाह को अपराध के समय आरोपियों को देखने व पहचानने का कितना अवसर प्राप्त हुआ था और वह उन्हें कितना स्मरण रख पाया। जब अपराध अंधकार में घटित हुआ हो तथा अभियुक्त पूर्णतः अपरिचित हों, तब पहचान का महत्व और अधिक बढ़ जाता है। उस समय की उपलब्ध प्रकाश व्यवस्था अत्यंत महत्वपूर्ण कारक बन जाती है। आवश्यक है कि गिरफ्तारी के शीघ्र पश्चात आरोपियों की पहचान करवाई जाए। यदि यह सुसंगत साक्ष्य नहीं है कि गवाहों को घटना स्थल पर प्रकाश की उपस्थिति और आरोपियों की निकटता के कारण उनका क्रियाकलाप स्पष्ट रूप से दिखाई दिया जिससे उनके चेहरे गवाहों की स्मृति में अंकित हो सकें, तो यह अनुमान लगाना कि अपीलार्थीगण/अभियुक्तगण ही वास्तविक अपराधी हैं, अत्यंत जोखिमपूर्ण और अविश्वसनीय होगा।"

Web Copy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

11. उपर्युक्त स्थापित सिद्धांतों को लागू करते हुए, अब हम अभियोजन साक्ष्य का परीक्षण इस दृष्टिकोण से करेंगे कि अभियोजन साक्षी क्रमांक 22 किशोरीलाल द्वारा की गई अभियुक्तों की पहचान के आधार पर क्या अभियोजन, अपीलार्थीगण/अभियुक्तगण की घटना में संलिप्तता को प्रमाणित करने में सफल हुआ है अथवा नहीं। अ. सा..–22 किशोरीलाल ने अपने कथन में बताया है कि मध्यरात्रि में जब उसे होश आया, तो उसने स्वयं को जमीन पर पड़ा पाया, क्योंकि जब वह सो रहा था, उसी समय किसी ने उसे धक्का देकर गिरा दिया था। होश में आने पर उसने देखा कि तीन अभियुक्त—राजेश, देवदास एवं रूप सिंह—उसके कक्ष में खड़े थे। कमरे की बिजली बंद थी, परन्तु अभियुक्तों के हाथों में टॉर्च थीं। दो टॉर्चें कूलर पर रखी थीं, जिनमें से एक की रोशनी चारपाई की ओर और दूसरी की रोशनी अलमारी एवं खिड़की की ओर पड़ रही थी। कूलर पर रखी दोनों टॉर्चों की रोशनी निरंतर जल रही थी। गवाह ने कहा कि उसने अभियुक्तों को उन्हीं टॉर्चों की रोशनी में देखा, जो कूलर पर रखी थीं और अभियुक्तों

के हाथों में थीं। उसने यह भी बताया कि एक अभियुक्त अलमारी से वस्तुएँ निकालकर चारपाई पर फेंक रहा था, दूसरा अभियुक्त चारपाई पर फेंकी गई वस्तुओं की तलाशी ले रहा था और तीसरा अभियुक्त उन वस्तुओं को समेट रहा था। उसे ऐसा प्रतीत हुआ कि दो या तीन व्यक्ति बाहर खड़े थे। इस साक्षी ने न्यायालय में अभियुक्त रंधीर को छूते हुए कहा कि चौथा अभियुक्त रंधीर था, जो कमरे में आ–जा रहा था। अभियुक्तगण बिजली आपूर्ति पुनः चालू होने के पाँच मिनट बाद तक कमरे में रुके रहे और उसके बाद उन्होंने चादर से अपना चेहरा ढँककर वहाँ से प्रस्थान किया। इस साक्षी ने देहाती नालसी प्रदर्श–पी/19 दर्ज कराई थी। अपने कथन के कंडिका –8 में उसने यह भी कहा कि उसने अभियुक्त राजेश, देवदास, रूप सिंह एवं रंधीर की पहचान–परेड में पहचान की थी।"

12. यदि इस साक्षी के न्यायालय में दिए गए कथन की तुलना उसके द्वारा दर्ज कराई गई देहाती नालसी (प्रदर्श–पी/19) एवं पुलिस केस डायरी में दिए गए कथन (प्रदर्श–डी/2) से की जाए, तो यह स्पष्ट प्रतीत होता है कि उसने अपने न्यायालयीन साक्ष्य में अनेक महत्वपूर्ण तथ्यों में सुधार (improvements) किया है। प्रारंभिक प्रतिवेदन प्रदर्श–पी/19 तथा पुलिस केस डायरी में उसने यह उल्लेख किया था कि तीन अभियुक्त उसके कक्ष में प्रवेश किए थे। कहीं भी चौथे व्यक्ति का उल्लेख नहीं किया गया है—न तो देहाती नालसी (प्रदर्श–पी/19) में और न ही केस डायरी के कथन (प्रदर्श–डी/2) में। उक्त देहाती नालसी (प्रदर्श–पी/19) की अंतिम पंक्ति में उसने यह कहा था कि वह तीन चोरों को उनके हाव–भाव एवं बातचीत के आधार पर पहचान सकता है तथा उसका पुत्र राजा भी उन्हें पहचान सकता है। उक्त प्रतिवेदन (प्रदर्श–पी/19) में पहचान के संदर्भ में केवल इतना उल्लेख किया गया है कि दो व्यक्ति लगभग पाँच फीट ऊँचाई के थे और एक व्यक्ति की ऊँचाई लगभग साढ़े चार फीट थी। इसके अतिरिक्त कोई अन्य विवरण जैसे कद–काठी, रंग–रूप आदि का उल्लेख न तो प्रतिवेदन में है और न ही केस डायरी के कथन में। जबकि न्यायालय में दिए गए साक्ष्य में इस साक्षी ने अभियुक्त रंधीर की भी पहचान की है, किंतु उसकी देहाती नालसी (प्रदर्श–पी/19) एवं केस डायरी के कथन (प्रदर्श–डी/2) में चौथे अभियुक्त अर्थात रंधीर का कोई भी उल्लेख नहीं है।"

13. यह तथ्य निर्विवाद है कि अभियुक्तगण इस साक्षी के लिए पूर्व से अपरिचित थे एवं घटना के समय कक्ष में पूर्ण अंधकार था। इस साक्षी ने, जैसा कि पूर्व में उल्लिखित किया गया है, अपने कथन में यह दर्शाया है कि उसने अभियुक्तों की पहचान उन टॉर्चों की रोशनी में की थी, जो अभियुक्तों के पास थीं तथा कूलर पर रखी थीं। परंतु पहचान से संबंधित विवरण के रूप में इस साक्षी ने देहाती नालसी (प्रदर्श–पी/19) अथवा पुलिस केस डायरी के कथन (प्रदर्श–

Web Copy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

डी/2) में तीन व्यक्तियों की ऊँचाई के अतिरिक्त किसी अन्य विशिष्ट लक्षण जैसे रंग–रूप, चेहरे की बनावट, त्वचा का रंग अथवा शरीर की बनावट का कोई उल्लेख नहीं किया है। जब अभियुक्तगण अलमारी से सामान निकालने में व्यस्त थे, तो सामान्य परिस्थितियों में इस साक्षी द्वारा उनकी पहचान कर पाना अथवा उनके चेहरे की स्पष्ट छवि स्मरण में रखना संभव प्रतीत नहीं होता। विशेषकर जब टॉर्च की रोशनी चारपाई की ओर थी और अभियुक्त अत्यंत समीप खड़े थे, तब साक्षी की आँखें खुली रहना और उन्हें पहचान पाना स्वाभाविक रूप से कठिन था। इस संबंध में कोई साक्ष्य नहीं है कि अभियुक्त उन टॉर्चों को साथ ले गए थे या उन्हें कूलर पर ही छोड़ दिया था। इस पहलू पर अभियोजन साक्षी क्रमांक 22 किशोरीलाल तथा विवेचना अधिकारी (अ. सा. 25) की साक्ष्य मौन है। यदि टॉर्चें घटनास्थल पर छोड़ी गई थीं, तो पुलिस द्वारा उन्हें जब्त क्यों नहीं किया गया—इस संबंध में कोई स्पष्टीकरण प्रस्तुत नहीं किया गया है। पहचान परेड संबंधी पंचनामों का परीक्षण करने पर यह ज्ञात होता है कि प्रदर्श–पी/2 के माध्यम से किशोरीलाल ने अभियुक्त राजेश की, प्रदर्श–पी/3 से अभियुक्त देवदास की, प्रदर्श–पी/17 से अभियुक्त रूप सिंह की तथा प्रदर्श–पी/18 से अभियुक्त रंधीर की पहचान की। परंतु इन पंचनामों में यह कहीं उल्लेखित नहीं है कि इस साक्षी ने पहचान करते समय यह बताया हो कि प्रत्येक अभियुक्त ने डकैती की घटना में क्या भूमिका निभाई थी। यह भी नहीं दर्शाया गया है कि डकैती करते समय कौन अभियुक्त कहाँ खड़ा था, कौन अलमारी से सामान निकाल रहा था, कौन चारपाई पर पड़े सामान की तलाशी ले रहा था और कौन सामान को कमरे से बाहर ले जा रहा था। यहाँ तक कि न्यायालय में दिए गए साक्ष्य में इस साक्षी ने यह कहा कि कूलर पर रखी दो टॉर्चों में से एक की रोशनी चारपाई पर तथा दूसरी की रोशनी अलमारी पर पड़ रही थी, परंतु यह विवरण न तो देहाती नालसी (प्रदर्श–पी/19) में है और न ही पुलिस केस डायरी के कथन (प्रदर्श–डी/2) में। अतः यह स्पष्ट रूप से न्यायालयीन साक्ष्य में किया गया एक 'सुधार' (Improvement) है।

14. इसी प्रकार, देहाती नालसी (प्रदर्श–पी/19) एवं पुलिस केस डायरी के कथन (प्रदर्श–डी/2) में इस साक्षी ने यह कहा है कि लगभग 2.50 बजे प्रातः जब विद्युत आपूर्ति पुनः चालू हुई, तब एक अभियुक्त ने अपने चेहरे पर चादर डाल ली। परंतु अभियुक्तों की पहचान संबंधी ज्ञापन (प्रदर्श–पी/2, पी/3, पी/17 तथा पी/18) के माध्यम से जब इस साक्षी ने अभियुक्तों की पहचान की, उस समय तहसीलदार के समक्ष यह नहीं बताया गया कि किस अभियुक्त ने चादर से अपना चेहरा ढँका था। देहाती नालसी (प्रदर्श–पी/19) एवं पुलिस केस डायरी (प्रदर्श–डी/2) में यह कहा गया है कि जैसे ही बिजली आई, एक अभियुक्त ने अपने

WebCopy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

चेहरे को चादर से ढँक लिया; जबकि न्यायालय में अपने कथन में इस साक्षी ने यह 'सुधार' किया है कि विद्युत आपूर्ति बहाल होने के लगभग पाँच मिनट बाद अभियुक्त ने अपना चेहरा ढँका। ऐसा प्रतीत होता है कि यह सुधार इस उद्देश्य से किया गया हो कि वह अभियुक्तों को प्रकाश में देखकर पहचान पाने का दावा कर सके। इसी प्रकार, न्यायालय में इस साक्षी ने यह कहा कि उसने चार अभियुक्तों की पहचान की, जबकि जैसा कि पूर्व में उल्लेखित है, न तो देहाती नालसी (प्रदर्श–पी/19) में और न ही पुलिस केस डायरी के कथन (प्रदर्श–डी/2) में चौथे अभियुक्त के उसके कक्ष में प्रवेश का कोई उल्लेख है। इसके अतिरिक्त, पुलिस केस डायरी में इस साक्षी ने यह अवश्य कहा है कि एक अभियुक्त अलमारी से सामान निकाल रहा था, दूसरा चारपाई से सामान उठा रहा था और तीसरा सामान लेकर जा रहा था; परंतु यह विवरण न तो देहाती नालसी (प्रदर्श–पी/19) में है और न ही पुलिस केस डायरी कथन (प्रदर्श–डी/2) में।

15. इसके अतिरिक्त, इस साक्षी ने यह स्पष्ट रूप से कहा है कि उसने देहाती नालसी (प्रदर्श–पी/19) अथवा पुलिस केस डायरी के कथन (प्रदर्श–डी/2) के दौरान अभियुक्तों के चेहरे का रंग, आँखों का रंग अथवा चेहरे की बनावट जैसे विशिष्ट लक्षणों का कोई विवरण पुलिस को नहीं दिया था। अपने न्यायालयीन साक्ष्य के कंडिका –38 में भी इस साक्षी ने यह स्वीकार किया है कि उसने विवेचना अधिकारी को यह नहीं बताया था कि उसने प्रत्येक अभियुक्त की पहचान किस आधार पर की थी। किशोरीलाल के पुत्र, अभियोजन साक्षी क्रमांक 20 रविराजा की साक्ष्य मात्र अभियुक्त प्रह्लाद की पहचान तक सीमित है, जो वर्तमान में फरार है। रविराजा की साक्ष्य में भी अनेक सुधार (Improvements) हुए हैं, जो कि उसने पुलिस केस डायरी के कथन (प्रदर्श–डी/1) में नहीं कहे थे, परंतु न्यायालय में साक्ष्य देते समय प्रस्तुत किए। अतः अभियोजन साक्ष्य में उपर्युक्त त्रुटियों एवं विरोधाभासों को दृष्टिगत रखते हुए, अभियुक्तगण द्वारा लिया गया यह प्रतिरक्षा पक्ष कि उन्हें पहचान परेड से पहले ही पुलिस द्वारा गवाहों को दिखाया गया था, प्रथम दृष्टया विश्वसनीय प्रतीत होता है तथा इसे पूर्णतः नकारा नहीं जा सकता।

Web Copy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

16. उपर्युक्त विश्लेषण के परिप्रेक्ष्य में, अभियोजन साक्षी क्रमांक 22 किशोरीलाल की यह साक्ष्य कि उसने अंधकारमयी रात्रि में टॉर्च की रोशनी में अभियुक्तों की पहचान की, न्यायालय में विश्वास उत्पन्न नहीं करती। अभियोजन द्वारा इस साक्षी की साक्ष्य के समर्थन में अभियुक्तगण की डकैती में संलिप्तता को प्रमाणित करने हेतु कोई स्वतंत्र अथवा पुष्टिकारक साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया है। अतः ***बोल्लावरम पेड्डा नरसी रेड्डी एवं अन्य बनाम आंध्र प्रदेश राज्य (1991***

एससीसी (क्रि) 586) (उपर्युक्त उद्धृत) में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा प्रतिपादित पहचान के सिद्धांत को लागू करते हुए, अभियुक्त/अपीलार्थीगण अर्थात् रणधीर, देवदास, रूप सिंह एवं राजेश को प्रश्नगत अपराध से जोड़ने के लिए अ.सा.– 22 किशोरीलाल के साक्ष्य पर भरोसा और विश्वास स्थापित करना कठिन प्रतीत होता है। अतः, न्यायालय के विचार में, विचारण न्यायालय द्वारा अभियुक्तगण —— रणधीर, देवदास, रूप सिंह एवं राजेश —— को भारतीय दंड संहिता की धारा 396 एवं 324 सहपठित धारा 34 के अंतर्गत दोषसिद्ध ठहराए जाने के निर्णय को कायम नहीं रख सकता, क्योंकि अभियोजन पक्ष अभियुक्तों के विरुद्ध अपराध को संदेह से परे सिद्ध करने में असफल रहा है।

17.अंतिम विश्लेषण में, अपीलार्थीगण/अभियुक्तगण रंधीर, देवदास, रूप सिंह एवं राजेश द्वारा प्रस्तुत अपील सफल होती है। उनके विरुद्ध भारतीय दंड संहिता की धारा 396 एवं 324 सहपठित धारा 34 के अंतर्गत पारित दोषसिद्धि एवं दंडादेश को अपास्त किया जाता है। यदि इनकी किसी अन्य प्रकरण में निरुद्ध रखे जाने की आवश्यकता न हो, तो इन्हें तत्काल रिहा किया जाए।

Web Copy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

सही/–
श्री एल.सी.भादू
न्यायमूर्ति

सही/–
श्री धीरेन्द्र मिश्रा
न्यायमूर्ति

---0---

अस्वीकरणः हिन्दी भाषा में निर्णय का अनुवाद पक्षकारों के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा । समस्त कार्यालयीन एवं व्यवहारिक प्रयोजनों हेतु **निर्णय का अंग्रेजी स्वरुप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।**

Translated By. ADV. RAHUL KRISHNA SAHU